

पत्रावली में वादी साक्ष्य
दिया गया था परन्तु पेश नहीं। ज्याभाएव
रुक अवसर और यदि जाओ पत्रावली वास्त
वादी साक्ष्य हेतु 10.08.2023 का पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

10.08.2023

पत्रावली पेश।

पत्रावली पेश। पत्रावली वादी
साक्ष्य हेतु 17.08.2023 का पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

17.08.23

पत्रावली पेश हुई। आज पीठसीन अधिकारी
में होने से पत्रावली
पूर्व आवेष्ट की पालना में आमन्दा दिनांक....
को पेश हो।

12/9/23

पत्रावली पेश।
वादी/वादी अधिवक्ता अनुपास्थित।
वादी/वादी अधिवक्ता को रकम-रकम
कर तीन-तीन बार कावाज लगे।
इसके बावजूद वादी/वादी अधिवक्ता
अनुपास्थित।
अतः उक्त वाद को अदम पूरवी/
अदम हाजरी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फेसल्य शुमार होकर गेबल
रकम हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

